# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

## शुद्धि पत्र

कार्यालय पत्रांक 978 दिनांक 18.05.2026 के अंतिम कंडिका 2 वाक्य को ''वैसी सभी शिक्षिकाएं जो शिशु देखभाल अवकाश बिना स्वीकृत कराए अनुपस्थित हैं, उनका विद्यालय में पुनः योगदान बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के किसी भी परिस्थिति में नहीं करवाया जाएगा। साथ ही कोई भी अन्य शिक्षक/शिक्षिका जो बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश (मातृत्व अवकाश को छोड़कर) पर 30 दिनो से अधिक से विद्यालय से अनुपस्थित है को अधोहस्ताक्षरी के अनुमति मिलने के उपरांत विद्यालय में योगदान करवाया जाएगा। साथ ही विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षकों द्वारा लंबी छुट्टियों (जैसे- ग्रीष्मावकाश, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि) के साथ आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी सामान्य अवकाश पर पूर्णतः रोक है। किसी भी शिक्षक/शिक्षिका को ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ होने के पूर्व कोई भी लंबी अवकाश उपभोग करने की अनुमति देने से बचेंगे, जब तक कोई विशेष परिस्थिति नही हो।'' पढ़ा जाए शेष यथावत रहेंगे।

RABINDRA KUMAR SAH
Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.05.19 13:47:46 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-991 हाजीपुर दिनांकः-19/05/26

प्रतिलिपिः-सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

RABINDRA KUMAR SAH
Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.05.19 13:48:01 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
**रविन्द्र कुमार,** बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-978

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक,
जिले के सभी कोटि के विद्यालय,
जिला- वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-18/5/26

विषयः- बिना स्वीकृति के शिशु देखभाल अवकाश अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की विवरणी 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने एवं बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के विद्यालय में योगदान नहीं कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त बिषयक अंकित करना है कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि जिले के अंतर्गत कई विद्यालयों में शिक्षिकाओं द्वारा शिशु देखभाल अवकाश का आवेदन देकर बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य शिक्षकों के भी बिना स्वीकृत अवकाश के 30 दिन से अधिक से अनुपस्थित रहने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। विभागीय निर्देशानुसार किसी भी परिस्थिति में बिना पूर्व स्वीकृति के शिशु देखभाल अवकाश या अन्य किसी भी अवकाश (मातृत्व अवकाश एवं आपातकालीन तथा चिकित्सा परिस्थिति को छोड़कर) का उपभोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों/शिक्षिकाओं द्वारा विभागीय निर्देशों के विपरीत अवकाश का उपभोग करते हुए छात्रों को उनेके शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है, जो कि प्रमाणित है एवं घोर अनुशासनहीनता का परिचायक है।

अतः इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आप सभी को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:-

1. अनधिकृत अनुपस्थिति की सूचना- सभी प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विद्यालय से कोई भी शिक्षक/शिक्षिका बिना स्वीकृत अवकाश के 30 दिनो से अधिक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित नही रहे। यदि कोई भी शिक्षक/शिक्षिका अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है, तो उसकी सूचना संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्हाट्सएप संख्या 9471234567 पर भी तत्काल उक्त पत्र की छायाप्रति भेजना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित करते हुए 3 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय में योगदान करने संबंधित पुनः योगदान एवं अवकाश संबंधित निर्देश कार्यालय पत्रांक 887 दिनांक 06-05-2026 के द्वारा विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। यदि 24 घंटे के अंदर उक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है अथवा बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के किसी ऐसे शिक्षक/शिक्षिका का योगदान विद्यालय में करवाया जाता है, तो इसे विभागीय आदेशों की घोर अवहेलना मानते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भी विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई अविलंब प्रारंभ कर दी जाएगी।

2. विद्यालय में पुनः योगदान पर पूर्ण रोक- वैसी सभी शिक्षिकाएं जो शिशु देखभाल अवकाश बिना स्वीकृत कराए अनुपस्थित हैं, उनका विद्यालय में पुनः योगदान बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के किसी भी परिस्थिति में नहीं करवाया जाएगा। साथ ही कोई भी अन्य शिक्षक/शिक्षिका जो बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश (मातृत्व अवकाश को छोड़कर) पर 30 दिनो से अधिक से विद्यालय से अनुपस्थित है को अधोहस्ताक्षरी के अनुमति मिलने के उपरांत विद्यालय में योगदान करवाया जाएगा। साथ ही विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षकों द्वारा लंबी छुट्टियों (जैसे- ग्रीष्मावकाश, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि) के साथ आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी सामान्य अवकाश को छोड़कर लेने पर पूर्णतः रोक है। किसी भी शिक्षक/शिक्षिका को ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ होने के पूर्व कोई भी लंबी अवकाश उपभोग करने की अनुमति देने से बचेंगे, यदि कोई विशेष परिस्थिति नही हो तो।

विश्वासभाजन

18.5.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-978 हाजीपुर दिनांकः-18/5/26

प्रतिलिपिः- सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.5.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।